सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

28 नवम्बर, 2016

षोडश विधान-सभा | 28 नवम्बर, 2016 ई0
------------ | सोमवार,तिथि ----------------
चतुर्थ सत्र | 07 अग्रहायण,1938(शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय 11 बजे पूर्वा0)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष: अब सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है। अल्पसूचित प्रश्न।

श्री प्रेम कुमार,नेता,प्रतिपक्ष: महोदय देश की जनता प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ी है...........

(व्यवधान)

(इस अवसर पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया(माले)के माननीय सदस्यगण सदन के वेल में आ गये)

(व्यवधान)

अध्यक्ष: महबूब आलम जी, सीट पर जाईए, सीट पर जाईए।

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय,मैं कहना चाहता हूँ आज पूरा देश और बिहार की जनता और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी नोटबंदी के सवाल पर समर्थन में हैं। पूरा देश नोटबंदी का समर्थन कर रहा है, वहीं आर0जे0डी0 चारा घोटाला में जो लोग थे, अलकतरा घोटाला में जो लोग थे, कांग्रेस आजादी के बाद लगातार भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी रही है वे लोग कालाधन का समर्थन कर रहे हैं महोदय, देश की गरीब जनता........

अध्यक्ष: माननीय नेता, प्रतिपक्ष..

श्री प्रेम कुमार,नेता विरोधी दल : महोदय, आज महोदय कहना चाहता हूँ देश की जनता प्रधानमंत्री जी के साथ, कालेधन के सवाल पर, भ्रष्टाचार पर अंकुश के सवाल पर ..

(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार,मंत्री: महोदय,ये लोकसभा में भाषण कर रहे हैं या विधान-सभा में कर रहे हैं यह हम इनसे जानना चाहते हैं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष: प्रेम बाबू, यह बिहार की जनता का सदन है । बिहार की जनता का और राज्यहित के अनेक मुद्दे, प्रश्न आज की कार्य सूची में सम्मिलित हैं । जिन बातों की चर्चा आप लोग कर रहे हैं, वह तो इस सदन का विषय ही नहीं है फिर उस पर अनावश्यक सदन का समय क्यों जाया करते हैं ? आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आपके दल के भी कई माननीय सदस्यों का महत्वपूर्ण प्रश्न है और ..

(व्यवधान)

प्रेम बाबू, अब सदन चलने दीजिये।

(व्यवधान)

अब सदन चलने दीजिये।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-1(श्री ललन पासवान)

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी,मंत्री: (1) स्वीकारात्मक है।

(2) स्वीकारात्मक है। सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग केन्द्रीय कर्मियों के संदर्भ में लिये गये केन्द्र सरकार के निर्णय के क्रम में राज्य सरकार द्वारा राज्यकर्मियों के संबंध में निर्णय नहीं लिया जा सका है। कालान्तर में अपने आर्थिक संसाधनों को दृष्टिपथ में रखते हुए राज्य सरकार आवश्यक निर्णय लेगी।

(व्यवधान)

(इस अवसर पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया(माले)के माननीय सदस्यगण सदन के वेल से अपनी-अपनी सीट पर चले गये)

अध्यक्ष: यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्री ललन पासवान।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी,मंत्री: हम उत्तर दे दिये हैं।

अध्यक्ष: हां,हां । वे पूरक पूछ रहे हैं।

श्री ललन पासवान: केन्द्र सरकार ने लागू कर दिया, बिहार सरकार ने अभी तक फिटमेंट कमिटी का भी गठन नहीं किया है। सरकार बिहार राज्य के कर्मचारियों और पदाधिकारियों के लिये सातवें वेतन को राज्य में कबतक लागू करेगी? अबतक सरकार फिटमेंट कमिटी का भी गठन नहीं की है। सरकार की क्या मंशा है ? देना चाहती है या नहीं, सरकार यहां के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा को लागू करना चाहती है या नहीं?

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, एक बार उत्तर फिर से पढ़ दीजिये, उस समय सुने नहीं होंगे ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी,मंत्री: (1)उत्तर स्वीकारात्मक है।

(2)उत्तर स्वीकारात्मक है।

(3) सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग केन्द्रीय कर्मियों के संदर्भ में लिये गये केन्द्र सरकार के निर्णय के क्रम में राज्य सरकार द्वारा राज्यकर्मियों के संदर्भ में निर्णय नहीं लिया जा सका है । कालान्तर में अपने आर्थिक संसाधनों को दृष्टिपथ में रखते हुए राज्य सरकार आगे आवश्यक निर्णय लेगी।

श्री ललन पासवान: माननीय मंत्री जी, भारत सरकार ने लागू कर दिया । आपने शराबबंदी किया, नेक काम किया और बिहार सरकार बिहार के विकास में आगे बढ़ रही है। बढ़ता बिहार नीतीश कुमार । तो यह सातवें पे कमीशन की अनुशंसा के आलोक में कर्मचारियों के लिए फिटमेंट कमिटी का भी गठन नहीं हुआ है, तो कबतक फिटमेंट कमिटी का गठन

होगा ? आपकी मंशा क्या है कबतक दीजियेगा, कबतक गठन कीजियेगा? पैसा नहीं है तो वो भी बतला दीजिये।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी,मंत्री: महोदय,मैंने यह नहीं कहा कि नहीं देना है। मैंने यह कहा कि अपनी आर्थिक स्थिति की समीक्षा करके जो प्रक्रियात्मक कार्य करने हैं राज्य सरकार को वह विचाराधीन है, वह काम हो रहा है।

श्री ललन पासवान: कबतक ? समय तो बतला दीजिये। 15 दिन, एक महीना, 6 महीना, साल भर ? एक वर्ष पूर्व भारत सरकार ने लागू कर दिया आपकी आर्थिक स्थिति कब ठीक होगी ? कबतक आप लागू कीजियेगा यह न बतलाईए। आपकी देने की मंशा है या नहीं है, वह भी बतलाईए कि आप देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं और 2017 में दीजियेगा, 2016 जा रहा है या पांच साल बाद दीजियेगा, वह न बतलाईए ?

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री ललन पासवान जी ने जो सवाल रखा है, हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं, भारत सरकार ने जो 7 वें वेतन आयोग के बारे में एलान कर दिया है तो राज्य सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि एक महीने में, दो महीने में हम माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि आप सदन को बतलायें, बिहार के कर्मचारियों को बतलायें कि कबतक करेंगे ? एक समय सीमा की घोषणा सदन में करें।

टर्न-2/मधुप/28.11.16

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, मंत्री : जिस सरकार में आप मंत्री थे और उस मंत्रिमंडल ने जितने साल में लागू किया था, उतने ही साल में हम भी लागू कर देंगे ।

<u>अल्प-सूचित प्रश्न संख्या- 2 (डॉ0 शकील अहमद खॉं)</u>

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, 1- मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (उर्दू निदेशालय) के पत्र संख्या- 550 दिनांक 28.07.2016 द्वारा सभी विभागों में अनुरोध किया गया है कि उर्दू भाषा में प्राप्त अर्जियॉं, अभ्यावेदन, परिपत्र का उर्दू अनुवाद करने और उनके उत्तर उर्दू भाषा में दिये जाने के लिये संबंधित अर्जियों, पत्रादि की प्रतियॉं तथा हिन्दी भाषा में उत्तर सामग्रियॉं, उर्दू निदेशालय को उपलब्ध कराकर उनका उर्दू अनुवाद प्राप्त कर संबंधित संस्थानों, व्यक्तियों को उपलब्ध कराते हुये सरकार की भाषा नीति को सुनिश्चित किये जायं।

2- सचिवालय स्तर पर सभी विभागों के अनुवाद कार्य हेतु उर्दू अनुवादक के पद सृजन की कार्रवाई की जा रही है ।

3- हिन्दी के साथ-साथ उर्दू में नाम-पट्ट, बैनर, होर्डिंग तथा विज्ञापन का प्रदर्शन, प्रकाशन की कार्रवाई की जा रही है । विभागीय ज्ञाप संख्या- 800 दिनांक 25.11.16 द्वारा निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग से अनुरोध किया गया है कि निबंधन कार्यालय में उर्दू फॉरमेट में भी दस्तावेज स्वीकार किये जायं ।

4. जिला गजट का भी उर्दू में रूपांकण एवं प्रकाशन की कार्रवाई की जा रही है।

डॉ0 शकील अहमद खॉं : अध्यक्ष महोदय, असल में 1983 में यह दूसरी जुबान बनी और 2016 में मुख्यमंत्री सचिवालय ने यह फैसला किया । मुझे खुशी इस बात की है, कैबिनेट का फैसला है लेकिन एक विधान सभा के मेम्बर की 200 चिट्ठियॉं मिनिस्टर्स के पास, जिला कलक्टर के पास, विभिन्न विभागों के पास पहुॅंच चुकी है, सिवाय एक जवाब के, जो कमीटमेंट 2016 का है उस कमीटमेंट की बुनियाद पर भी एक साल के अन्दर अगर तर्जुमानेदार बहाल कर दिये जाते, जो उर्दू प्रेमचंद की जुबान है, यह उर्दू फिराक गोरखपुरी की जुबान है, जिसने लिखा कि ''सारे जहॉं से अच्छा हिन्दुस्तॉं हमारा'' उस इकबाल की जुबान है, तो इस जुबान के प्रति जिस तरह के कमीटमेंट चाहिये, वह कमीटमेंट प्रैक्टिकल में कहीं नहीं दिखता है । मेरी चिट्ठियों के जवाब, मंत्रिमंडल के सदस्य यहॉं बैठे हुये हैं, मैं यह नहीं कहता....

अध्यक्ष : शकील जी, आप प्रश्न पूछिये ।

डॉ0 शकील अहमद खॉं : मैं यह कह रहा हूॅं कि कबतक मेरी चिट्ठियों के जवाब मिलेंगे जो मैंने पिछले आठ महीने में तमाम मंत्रालय में भेजे हैं उर्दू स्क्रिप्ट में ? आइ ऐम इम्फेसाइजिंग । करना यह होगा कि उनको अपने मंत्रालय में उर्दू तर्जुमानेदार बहाल करने होंगे और सारी कुछ जो प्रक्रिया चल रही है, कबतक यह प्रक्रिया खत्म होगी, ताकि मेम्बरान के लिये और बिहार के दो करोड़ आबादी जो उर्दू जानते हैं, उस प्रक्रिया को कब पूरा किया जायेगा ? सवाल वहॉं पर है ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है, उसकी भावना के साथ मैं हूॅं। इसकी व्यापक समीक्षा करके जितना जल्द हो सकता है, इस मामले पर अपेक्षित कार्रवाई की जायेगी ।

<u>अल्प-सूचित प्रश्न संख्या- 3 (श्री संजय सरावगी)</u>

श्री संजय सरावगी : महोदय, मेरे प्रश्न के खंड-1 में विधान सभा सचिवालय के भूल के कारण नगर परिषद् के पहले नगर निगम भी जो मैंने लिखा था, उसमें नगर निगम भी पढ़ा जाय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, 1- स्वीकारात्मक है ।

2- आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वर्तमान में लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित सेवाओं को प्रखंड, अनुमंडल एवं जिला मुख्यालय स्तर पर स्थापित आर0टी0पी0एस0 काउंटरों के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है । नगर निकायों के स्तर पर आर0टी0पी0एस0 काउंटर स्थापित नहीं किये गये हैं ।

3- वर्तमान में नगर निकाय कार्यालय हेतु अलग से आर0टी0पी0एस0 काउंटर स्थापित किये जाने से संबंधित प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, विचाराधीन नहीं है इसीलिये तो हमने यह प्रश्न लाया है । जो बड़े शहरों की जनता है और लोक सेवाओं का अधिकार कानून के अन्तर्गत जो विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजना, पारिवारिक लाभ योजना, मुख्यमंत्री नगर विकास योजना हो, आय प्रमाण पत्र हो, आवासीय प्रमाण पत्र हो, जाति प्रमाण पत्र हो, बड़ी आबादी शहर में रहती और जो प्रखंड कार्यालय है, उनकी अपनी पंचायतों की आबादी है । जैसे मान लीजिये एक उदाहरण- दरभंगा । उसका सदर प्रखंड जो है, 23 पंचायत पहले से उसकी आबादी है । इतनी लम्बी लाईनें, भीड़ लगी रहती है और शहर की आबादी अलग से साढ़े तीन लाख की है, उसको भी उस प्रखंड कार्यालय में जाना पड़ता है विभिन्न सेवाओं के लिये । शहर के लोग इसमें छूट भी जाते हैं, बहुत ज्यादा भीड़ इसमें रहती है । इसलिये मैंने आग्रह किया है अध्यक्ष महोदय कि जब प्रखंड कार्यालयों में आप सेवा का अधिकार कानून के अन्तर्गत विभिन्न आर0टी0पी0एस0 काउंटर पर सेवा दे रहे हैं तो शहरों की जनता को क्यों इस तरह छोड़ दिया गया है, जो इतनी समस्या उत्पन्न होती है । इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से......

अध्यक्ष : संजय जी, आप कह रहे हैं कि शहरों के लोगों को छोड़ दिया गया है । कैसे ? जो प्रखंड या अनुमंडल कार्यालय हैं वहाँ से आर0टी0पी0एस0 की सुविधा शहर के नागरिकों को दी जा रही है न !

श्री संजय सरावगी : दी जा रही है ।

अध्यक्ष : तो छोड़ा कैसे ?

श्री संजय सरावगी : दिक्कत कैसे हो रही है, यह बता रहे हैं । इतनी भीड़ रहती है....

अध्यक्ष : भीड़ रहती है ।

श्री संजय सरावगी : प्रखंड कार्यालयों में पहले से भीड़ रहती है, उसका 22-23 पंचायत और शहर की तीन-साढ़े तीन लाख जनता जो है, उसी लाईन में जाती है जिसके कारण वहाँ दिक्कत होती है ।

इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि बड़े जो नगर निकाय हैं, वहाँ पहले से आर0टी0पी0एस0 काउंटर लगे हुये हैं लेकिन उसमें यह सेवाएँ जो हैं, उसमें आवेदन नहीं दिया जाता है, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा अध्यक्ष

महोदय कि जहाँ आर0टी0पी0एस0 काउंटर नगर निकाय में लगे हुये हैं, वहीं सेवाओं को प्रारंभ किया जाय, बहुत दिक्कत होती है । हुजूर, जरा माननीय मंत्री जी से एक बार जवाब दिलवा दिया जाय ।

अध्यक्ष : जवाब तो वह दे चुके हैं कि अभी योजना नहीं है ।

श्री संजय सरावगी : योजना नहीं है....

अध्यक्ष : आपने आग्रह कर दिया, आपके आग्रह को सरकार ने सुन लिया है ।

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल : महोदय, माननीय सदस्य संजय सरावगी जी ने बहुत ही लोक महत्व का विषय उठाया है । शहरों में बड़ी आबादी है तो सरकार को क्या कठिनाई है ? सरकार घोषणा करे, यदि सरकार जनता की चिन्ता कर रही है तो हम आग्रह करेंगे माननीय मंत्री महोदय से कि शहरी आबादी के लिये अलग से आर0टी0पी0एस0 काउंटर खोलने की बात हमारे माननीय सदस्य ने जो किया है, हम आग्रह करेंगे सरकार घोषणा करे ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य को इस बात की जानकारी होगी कि संविधान संशोधन के बाद नगर पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद् ऑटोनोमस बॉडी है और सरकार जो यह कानून लाई है, वह अपने संगठनों के माध्यम से ही उसमें डिलेवरी देगी । तो प्रखंड, जिला, अनुमंडल में हर पंचायत समिति, नगर पंचायत, नगर निगम अवस्थित है, जैसा आपने भी महोदय, हमारा सहुलियत किया और क्लेरिफाइ किया है । आम जनता को वहाँ दिक्कतें हो रही हैं.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब छोड़िये । इसमें अब कोई प्रश्न नहीं है, संजय जी ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : दिक्कत अगर हो रही है जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं, तो नगर निगम में हम देखवा लेंगे, काउंटर और बढ़ाने की जरूरत होगी तो बढ़ाया जायेगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : उन्होंने कहा कि देखवा लेते हैं......

श्री संजय सरावगी : केवल एक चीज, महोदय । माननीय मंत्री जी ने कहा कि 75वाँ संशोधन के अन्तर्गत नगर निकाय है, 74वाँ संशोधन के अन्तर्गत तो पंचायती राज भी है, वहाँ जब आप काउंटर दे रहे हैं....

अध्यक्ष : तारांकित प्रश्न । प्रश्न संख्या-1, श्री मुन्द्रिका सिंह यादव । श्री वीरेन्द्र कुमार सिन्हा प्राधिकृत हैं । प्रभारी मंत्री उद्योग विभाग ।

(व्यवधान)

अब इसे छोड़िये । इसमें सब बात बता दिये न !

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल : महोदय, माननीय सदस्य विनय बिहारी जी को रोका गया है....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : उसकी हम जॉच कर लेंगे । रोका गया है, उसकी हम जॉच कर लेंगे ।

(इस अवसर पर भा0ज0पा0 के माननीय सदस्यगण खड़े हो गये ।)

(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पहले तो प्रश्नकर्त्ता सदस्य ने सवाल पूछ लिया और प्रश्नकर्त्ता के बाद नेता विरोधी दल पूछ रहे हैं और फिर नेता विरोधी दल के बाद प्रश्नकर्त्ता प्रश्न पूछ रहे हैं, उसके बाद फिर नेता विरोधी दल पूछ रहे हैं । तो यह प्रश्न का क्या नियम है ? माननीय सदस्य को बताया जाय, माननीय विपक्ष के नेता को भी बताया जाय कि क्या कार्य संचालन नियमावली है, उस हिसाब से प्रश्न को पूछा जाय । हर सवाल पर खड़े हो जा रहे हैं, पूरे सदस्यों को खड़ा किया जा रहा है । इनको बताया जाय कि इस तरह से सदन की कार्यवाही नहीं चलती है । (व्यवधान)

टर्न-3/आजाद/28.11.2016

श्री प्रेम कुमार,नेता विरोधी दल : महोदय, मेरा आग्रह होगा कि विधान सभा की कार्यवाही चल रही है, उनको प्रशासन ने रोकने का काम किया है । मेरा आपसे इतना ही आग्रह है कि माननीय सदस्य श्री विनय बिहारी जी को सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए आप आदेश दें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री विनय बिहारी जी को सदन में आने से क्यों रोका गया है, आपने मामला उठाया है, मैं स्वयं इस मामले को देख लूँगा और सारी स्थिति से सदन को ही अवगत करा दूँगा ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-1 (श्री मुन्द्रिका सिंह यादव)</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री उद्योग विभाग ।

श्री जय कुमार सिंह,मंत्री : माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं ।

अध्यक्ष : वे श्री वीरेन्द्र कुमार सिन्हा को अधिकृत किये हुए हैं ।

श्री जय कुमार सिंह,मंत्री : महोदय, 1. उत्तर स्वीकारात्मक है । जहानाबाद में बिहार राज्य चर्मोद्योग विकास निगम के दो बन्द कारखाने हैं । पहला फुटवियर फैक्ट्री, जहानाबाद इन्डस्ट्रियल एरिया,जहानाबाद और दूसरा -मोडर्न टेलरिंग,जहानाबाद तथा माननीय पटना उच्च न्यायालय ने दिनांक 25.8.2008 के आदेश से परिसमापन के अन्तर्गत है तथा इसमें शासकीय परिसमापक नियुक्त हो चुके हैं ।

2. प्रश्नगत कारखाने के भवन एवं जमीन लोगों के द्वारा अवैध रूप से कब्जा के बिन्दु पर जॉच हेतु जिलाधिकारी, जहानाबाद के विभागीय पत्र- 6267 दिनांक 26.11.2016 से अनुरोध किया गया है ।

3- बिहार राज्य चर्मोद्योग विकास निगम के परिसमापन में चले जाने के कारण प्रश्नगत कारखाने को चालू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

4- जिला पदाधिकारी,जहानाबाद से प्रश्नगत कारखाने का भवन एवं जमीन का लोगों के अवैध कब्जे के बिन्दु पर जॉच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उक्त आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

तारांकित प्रश्न सं0-2 (श्री सदानन्द सिंह)

अध्यक्ष : उत्तर दिया हुआ है, माननीय सदस्य पूरक पूछें ।

(वितरित उत्तर)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : 1. उत्तर स्वीकारात्मक है ।

2. उत्तर अस्वीकारात्मक है ।

भागलपुर प्रमंडल में कार्यरत अंचलों द्वारा राज्य में प्रवेश करने वाले वाहनों की नियमित जॉच कर उनसे कर/शास्ति की वसूली की कार्रवाई की जाती है ।

3. पदाधिकारी एवं कर्मचारी बल की कमी के कारण पूर्व में प्रस्तावित कुल 17 में से मात्र 5 समेकित जॉच चौकियॉ ही प्रारम्भ की जा सकी है । तत्काल अतिरिक्त जॉच चौकी स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है ।

श्री सदानन्द सिंह : उत्तर दिया हुआ है । अध्यक्ष महोदय, 2011 में तत्कालीन वित्त मंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी ने इसी विधान सभा में आश्वस्त किया था कि 2013 तक मिरजा चौकी में एक चेकपोस्ट खोल दिया जायेगा । अब तक नहीं खोले जाने का औचित्य क्या है, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूॅं ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, मामला ऐसा है कि सर, आप भी अवगत है कि जी0एस0टी0 की कार्रवाई हो रही हे, जी0एस0टी0 विधेयक भी पारित हो गया है और इसको जी0एस0टी0 कौंसिल के द्वारा सारी प्रक्रियायें निर्धारित करके 01 अप्रील से भारत सरकार का इरादा है कि जी0एस0टी0 लागू किया जायेगा । जी0एस0टी0 लागू होने के बाद चेक पोस्ट इरेवेलेन्ट हो जाता है, यह सब बातें हैं । इसीलिए फिलहाल उसको अग्रेतर कार्रवाई की अपेक्षा नहीं की जा रही है । इसीलिए उत्तर में यह कहा गया कि यह हुआ था लेकिन अब आगे कोई प्रस्ताव नहीं है, इसलिए माननीय सदस्य को मैं इतना ही कहना चाहता हूॅं ।

श्री सदानन्द सिंह : अध्यक्ष महोदय, ओवरलोडिंग का प्रश्न है । बिहार में खनन पर प्रतिबंध लग गया है, प्रत्येक दिन 6 हजार, 7 हजार की संख्या में ट्रकें इस पथ पर चलती हैं और प्राय: ओवरलोडेड चलती हैं सरकारी पदाधिकारियों की मिलीभगत से । सिर्फ माननीय मंत्री जी इसका उत्तर दे दें कि एक दिन किसी तारीख को जो पदाधिकारी ने फाईन करके वसूली की है, वह राशि कितनी है ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, ओवरलोडेड के लिए अलग से जिला प्रशासन या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कार्रवाई करेगी लेकिन मैंने वाणिज्यकर विभाग की ओर से कहा है कि जी0एस0टी0 लागू होने के बाद जो भी चेकपोस्ट है, वह इरेलेवेन्ट हो जायेगा, जैसा मैंने कहा है । इसलिीए फरदर इसको आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है ।

श्री सदानन्द सिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न इसी से संबंधित है । वहां पर मात्र एक रास्ता है, प्रत्येक दिन 6 हजार, 7 हजार ट्रकें ओवरलोडेड चलती है और बिहार सरकार का राजस्व ऑख के सामने चला जा रहा है, क्षति हो रही है, पदाधिकारियों की जेब भरी जा रही है । इसको रोकने के लिए सरकार कौन सी कार्रवाई कर रही है ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, जी0एस0टी0 लागू होने के बाद डेस्टीनेशन बेस्ड टैक्स जो है, वह वसूला जायेगा । तब तो कर प्रणाली, पूरे देश में चेक पोस्ट इरेवेलेन्ट हो जायेगा, उसकी कोई जरूरत नहीं है । इसीलिए मैंने कहा कि फरदर और इसको 01 अप्रील से लागू होना है । इसलिए दो-तीन महीने के लिए पैसे खर्च करके चेकपोस्ट बनाने का कोई औचित्य नहीं है ।

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय मंत्री जी, टैक्स के मामले में जी0एस0टी0 लागू होगा, वह तो होगा लेकिन माननीय सदस्य ओवरलोडिंग की बात कह रहे हैं, उसको अलग से सरकार चेक करे ।

श्री प्रेम कुमार,नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, एक ओर महोदय, जहां पर रेवेन्यू की क्षति पूरे राज्य में हो रही है और पथ भी बर्बाद हो रहा है ओवरलोडिंग के कारण, मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि पूरे राज्य का सड़क गड्ढा में तब्दील हो गया है, चलना पब्लिक को मुश्किल हो गया है । ओवरलोडिंग करने वाले लोगों पर सरकार कार्रवाई कर रही है ? महोदय, पूरे राज्य में, सभी जिलों में जो बालू का खनन हो रहा है, मिट्टी का हो रहा है ओवरलोडिंग के कारण, नेशनल हाईवे का, स्टेट हाईवे का पथ निर्माण, ग्रामीण कार्य विभाग की सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही है और इससे पब्लिक को चलने में काफी कठिनाई हो रही है । मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि पूरे राज्य में सड़कों की जो क्षति हो रही है, उसको रोकने के लिए सरकार कौन सी कार्रवाई करना चाहती है ?

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप जरा मूल प्रश्न को देखिए । मूल प्रश्न राजस्व की क्षति से है यानी जो टैक्स सरकार को मिलना चाहिए, वह नहीं मिल रहा है । इसके कारण राजस्व की हानि हो रही है और सरकार की तरफ से माननीय मंत्री ने स्पष्ट बताया है कि जी0एस0टी0 लागू हो रहा है । जी0एस0टी0 जब तक पूर्ण रूप से लागू नहीं हो जाता है, तब तक इस दिशा में जो पूर्व के निर्णय हैं, उनको लागू करना अभी समीचीन नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि ऐसा हम करेंगे । जहां तक ओवरलोडिंग की बात है, वह

तो रेगुलर टैक्स नहीं है । उसके लिए आसन की तरफ से सरकार को कह दिया गया है कि ओवरलोडिंग को सरकार देखे और उसकी जॉंच करे ।

तारांकित प्रश्न सं0-3 (मो0 आफाक आलम)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, इसे सामान्य प्रशासन विभाग को स्थानान्तरित कर दिया गया है।

अध्यक्ष : ठीक है । लेकिन इसका भी आप ही दीजियेगा ।

मो0 आफाक आलम : महोदय, मेरा क्या हुआ ?

अध्यक्ष : आपका सामान्य प्रशासन विभाग को स्थानान्तरित हुआ है ।

मो0 आफाक आलम : ठीक है सर ।

तारांकित प्रश्न सं0-4 (श्री फैयाज आलम)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, 1. अस्वीकरात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि थाना स्तर पर एक-एक मिस्ट टेक्नोलॉजी अग्निशामक वाहन उपलब्ध कराने का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया है ।

2. वस्तुस्थिति यह है कि मधुबनी जिलान्तर्गत बेनीपट्टी अनुमंडल के अन्तर्गत अरेब थाना की दूरी बिस्फी से 10 कि0मी0 एवं रहिका थाना से रहिका प्रखंड की दूरी लगभग आधा कि0मी0 है । अरेब थाना एवं रहिका थाना के लिए एक-एक मिस्ट टेक्नोलॉजी अग्निशामक वाहन कर्णांकित है, जिसपर फेब्रिकेशन का कार्य प्रक्रियाधीन है । फेब्रिकेशन के उपरान्त एक-एक मिस्ट टेक्नोलॉजी अग्निशामक वाहन अरेब थाना एवं रहिका थाना को उपलब्ध करा दिया जायेगा । वर्तमान में बेनीपट्टी अनुमंडल में अग्निशामक का कार्य किया जाता है, जहां से प्रखंड की दूरी 20 कि0मी0 है ।

3. खंड 1 एवं 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है । प्रखंड स्तर पर वर्तमान में अग्निशामक केन्द्र खोलने की सरकार की कोई नीति नहीं है । अपितु थाना स्तर पर एक-एक मिस्ट टेक्नोलॉजी अग्निशामक वाहन उपलब्ध कराने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है ।

टर्न-4/अंजनी/दि0 28.11.16

तारांकित प्रश्न सं0-5(श्री दिनेश चन्द्र यादव)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, 1- उत्तर स्वीकारात्मक है ।

2- उत्तर स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि श्री यादव द्वारा मो0 इरसाद अंसारी के विरूद्ध सहरसा थाना में जालसाजी का मुकदमा दर्ज करने के लिए आवेदन दिया गया था परन्तु तत्कालीन थानाध्यक्ष, सदर थाना सहरसा द्वारा अज्ञात के विरूद्ध सहरसा सदर थाना कांड संख्या 670/15 दिनांक 16.08.2015 द्वारा 379 भा0द0वि0 के अंतर्गत दर्ज किया गया । मो0 इरसाद अंसारी का नाम प्राथमिकी अभियुक्त में अंकित करने हेतु तत्कालीन पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष सदर सहरसा द्वारा दिनांक 31.8.15 को शुद्धि पत्र समर्पित किया गया है । दिनांक 26.11.16 को प्राथमिकी अभियुक्त मो0 इरसाद अंसारी को नगर थाना क्षेत्र मधुबनी जिला से गिरफ्तार किया गया है, आरोप-पत्र संभावित है, वर्त्तमान में कांड अनुसंधान अंतर्गत है ।

खंड-4-वस्तुस्थिति यह है कि कांड के अनुसंधानकर्ता स0नि0, मो0 करीम को अनुसंधान में बरती गयी लापरवाही के आरोप में 24.11.16 को निलंबित किया गया है और साथ-ही पु0नि0, संजय कुमार सिंह तत्कालीन थानाध्यक्ष, सदर थाना सहरसा के विरूद्ध उक्त लापरवाही के लिए अनुशासनिक कार्रवाई पुलिस उप महानिरीक्षक, कोशी क्षेत्र, सहरसा के स्तर पर प्रक्रियाधीन है, कांड का शीघ्र अनुसंधान पूर्ण करने का निदेश नये अनुसंधानकर्त्ता समेत सभी संबंधित पदाधिकारी को दिया गया है ।

अध्यक्ष : अब तो सब कुछ हो ही गया ।

श्री दिनेश चन्द्र यादव : एक मिनट । अध्यक्ष महोदय, यह मामला तो लगता है कि बहुत छोटा है लेकिन गंभीर है, इसलिए इसकी गंभीरता को सभी लोग समझते होंगे । आज के दिन प्राय: वैसे लोगों से जिनको अधिक जानकारी नहीं है, उनसे किसी तरह से ए0टी0एम0 कार्ड को ठीक करने के बहाने उसका नम्बर कोड वगैरह कुछ इस तरह का रैकेट चलानेवाले देश में, वह प्राप्त करता है और उस गरीब आदमी का पैसा निकाल लेता है । यह मामला उसी तरह का है । यह मामला यही है कि श्री यादव के ए0टी0एम0 से 60 हजार रूपया जालसाज निकाल लिया और उसके मोबाइल पर जब सूचना आया कि 60 हजार रूपया आपका अमुक खाता में चला गया तब उसको पता चला कि ए.टी.एम. में धोखा से हमारा कोड नम्बर ले लिया, तब इसके संबंध में एफ0आई0आर0 किया और आवेदन में दिया कि मो0 अरसाद अपने खाता में ट्रांस्फर कर जालसाजी से हमारे खाता से 60 हजार रूपया निकाल लिया और इस एफ0आई0आर0 को किये हुए एक साल तीन महीना हो गया ....

अध्यक्ष : सरकार ने तो सब स्वीकार किया है, आई0ओ0 को सस्पेंड कर दिया गया और थाना प्रभारी पर कार्रवाई की जा रही है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, अब आप चाहते क्या हैं ?

श्री दिनेश चन्द्र यादव : महोदय, हम यह चाहते हैं कि एफ0आई0आर0 हुआ जिसे सरकार ने भी माना कि जिसका आवेदन में नाम था, उसको अभियुक्त के कॉलम में उसका नाम नहीं दिया, दूसरा यह कि जालसाजी का मामला था वह तो ...

अध्यक्ष : वह तो संशोधित एफ0आई0आर0 भी हो गया, यह मंत्री जी ने तो सब बताया ।

श्री दिनेश चन्द्र यादव : महोदय, यह जालसाजी का मामला था इसको सरकार ने भी माना, लेकिन उसमें जो दफा बैठाया गया, उसमें चोरी का दफा बैठा दिया गया । मतलब शुरू से ही लगता है कि इसमें बचाव की मुद्रा में नीचे में लोग लगे हुए थे और सरकार कह रही है कि हमने अनुसंधानकर्त्ता को निलंबित कर दिया लेकिन सरकार को यह भी सोचना चाहिए कि जब मुकदमा होता है और ज्यादा दिनों तक लंबित रहता है तो एस0पी0 के स्तर पर भी क्राइम मीटिंग होती तो उसकी समीक्षा होती, तो किस तरह से किसने ...

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिए दिनेश जी ।

श्री दिनेश चन्द्र यादव : महोदय, हम पूरक ही पूछ रहे हैं, हम यह पूछना चाहते हैं कि जब इन्होंने बताया कि तत्कालीनथाना प्रभारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई कर रहे हैं, अनुसंधानकर्त्ता मो0 करीम को तो तुरंत निलंबित कर दिया गया जो और लोग हैं तो उसका प्रकियाधीन है, मतलब मुकदमा तो अब आया है अपने स्वरूप में, एक साल तीन महीने के बाद, तो प्रकियाधीन का मामला कब तक पूरा होगा, यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मामला सचमुच गंभीर है, उस समय के जो इन्सपेक्टर थे उन्होंने एफ0आई0आर0 गलत किया, उसको सजा मिलनी चाहिए, प्रकियाधीन नहीं, महोदय, माननीय सदस्य ने जो बातें कहीं है उसको निश्चित रूप से तात्कालिक प्रभाव से सस्पेंड किया जायेगा जो उस समय एफ0आई0आर0 गलत उन्होंने किया, उसपर कार्रवाई की जायेगी और तात्कालिक प्रभाव से उसको निलंबित किया जायेगा ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-6 (श्री महेश्वर प्रसाद यादव)</u>

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, 1. वस्तुस्थिति यह है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत गायघाट थाना कांड संख्या- 116/2010 में ग्राम-पिरौछा के श्री उमेश सिंह एवं अन्य के विरूद्ध लूट एवं रंगदारी के मामले को वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा सत्य पाया गया है तथा अभियुक्त 1- राम प्रसाद सिंह, 2- विनय ठाकुर, 3- रामानुज राय को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है । अभियुक्त 4- गुलानंद झा माननीय न्यायालय से जमानत पर मुक्त हैं, अन्य शेष अभियुक्त 1- उमेश सिंह, 2- माधव चन्द्र राय की गिरफ्तारी का हर संभव प्रयास किया जा रहा है परन्तु फरारी की स्थिति में इन दोनों अभियुक्तों के विरूद्ध इश्तेहार के लिए कांड के अनुसंधानकर्त्ता द्वारा अनुरोध किया गया है ।

2. उपरोक्त खंड-1 के अनुसार स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

श्री महेश्वर प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, उमेश सिंह जो अभियुक्त है, वह इस अवधि में चुनाव भी लड़े हैं, उसमें उनको गिरफ्तार नहीं किया गया । थाना पर भी जाते हैं, ब्लौक में भी जाते हैं, पुलिस जान-बूझकर गिरफ्तार नहीं करती है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार कितने दिनों के अन्दर उसको गिरफ्तार करना चाहती है ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य ने जिन तथ्यों की ओर इशारा किया है, गंभीर मामला है लेकिन जो प्रतिवेदन आया है, उमेश सिंह और माधवचन्द्र राय के गिरफ्तारी के लिए तो कोर्ट में इश्तेहार दिया गया है, जो गायब हैं उसके लिए । माननीय सदस्य जो कह रहे हैं कि वह थाना पर जाता है तो इस संबंध में निदेशित किया जायेगा कि अविलम्ब कार्रवाई को अपेक्षित ढंग से किये जायें ।

तारांकित प्रश्न सं0-7 (श्री जयवर्धन यादव)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि पटना जिले के पालीगंज अनुमंडल के मुख्य बाजार में सामान्य दिनों एवं पर्व-त्योहारों के समय में बड़ी मालवाहक गाड़ियों एवं बसों आदि के गुजरने के क्रम में यदा-कदा जाम की स्थिति बन जाती है, जिससे स्थानीय पालीगंज थाना द्वारा पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति कर जाम को हटा दिया जाता है तथा यातायात नियम का उल्लंघन करनेवालों लोगों पर कार्रवाई की जाती है ।

श्री जयवर्धन यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को जानकारी देना चाहता हूँ कि जो पालीगंज मुख्य बाजार है वह एस0एच0-69 पर ही अवस्थित है और बाजार चूंकि काफी संकरा है, फुटपाथ के अलावा जो नाला बना हुआ है उसके स्लैब के अलावे मुख्य सड़क में भी फल वाले अपना ठेला लगा लेते हैं, जिसके कारण भी आवागमन में काफी कठिनाई होती है । सड़कों की संरचना भी कुछ इस प्रकार की है कि पटना आने के लिए अगल-बगल के दो बड़े बोर्डर जहानाबाद और पटना दोनों जगह जाने के लिए पालीगंज बाजार होकर ही जाना पड़ता है और जाम की स्थिति प्राय: हर दिन और हर समय लगी रहती है, आप समझिए कि 10 से 5 बजे तक आवागमन बिल्कुल बाधित रहता है । महोदय, इसलिए आपसे आग्रह होगा कि ....

अध्यक्ष : आप पूरक प्रश्न पूछ लीजिए या कुछ सुझाव दीजिए । आप तो सिर्फ वस्तुस्थिति बता रहे हैं ।

श्री जयवर्धन यादव : अध्यक्ष महोदय, महोदय, मेरा सुझाव होगा कि एस0एच0-2 और एस0 एच0-69, इसी के बीच में पालीगंज मुख्य बाजार स्थित है । एक बाईपास के लिए मेरा सुझाव होगा महोदय ।

अध्यक्ष : ठीक है, लिखकर भी सरकार को दे देंगे ।

श्री जयवर्धन यादव : महोदय, उसके लिए प्रश्न डाले हुए हैं महोदय ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

टर्न-5/शंभु/28.11.16

तारांकित प्रश्न सं0-8(श्रीमती सुनीता सिंह चौहान)

श्रीमती सुनीता सिंह चौहान : महोदय, प्रश्न मिसप्रिंट है, गलत छप गया है । मैं बेलसंड प्रखंड के डुमरा ननौरा पंचायत का दरियापुर कब्रिस्तान के घेराबन्दी का प्रश्न पूछी थी, लेकिन इसमें धमौल पंचायत गलत छप गया है।

अध्यक्ष : कब्रिस्तान दरियापुर वाला ही न है ? पंचायत का नाम गलत छप गया है, गांव ठीक है न दरियापुर ?

श्रीमती सुनीता सिंह चौहान : जी ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बेलसंड प्रखंड के दरियापुर कब्रिस्तान वर्ष 2016 में निर्धारित नयी प्राथमिकता सूची के क्रम 339 पर अंकित है। वर्तमान में प्राथमिकता सूची के क्रमांक 1-17 तक के कब्रिस्तानों की घेराबन्दी हेतु प्राक्कलन तैयार करने की कार्रवाई प्रारंभ की गयी है । कब्रिस्तानों की घेराबन्दी के लिए जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकताएं निर्धारित की जाती है और उसी क्रमबद्ध ढंग से घेराबन्दी कराये जाने की नीतियां है।

श्रीमती सुनीता सिंह चौहान : महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से जानना चाहती हूँ कि जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक होती है और कब्रिस्तान की प्राथमिकता सूची तय की जाती है । प्राथमिकता सूची में दरियापुर कब्रिस्तान सम्मिलित है कि नहीं और सम्मिलित है तो सरकार कब्रिस्तान का निर्माण कब तक कराने का विचार रखती है ?

अध्यक्ष : माननीय सुनीता जी, माननीय मंत्री जी ने बताया है कि यह कब्रिस्तान उस प्राथमिकता सूची में अंकित है, लेकिन संख्या जो इन्होंने बताया है...........

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : हमने बताया कि 339 वॉं नंबर मात्र, लेकिन माननीय सदस्या जब कह रही हैं तो यह निदेशित किया जायेगा कलक्टर को कि देख लें, अगर संवेदनशीलता में है तो उसपर अविलंब अपेक्षित कार्रवाई की जाय।

तारांकित प्रश्न सं0-9(श्री चन्द्रसेन प्रसाद)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि नालंदा जिलान्तर्गत इस्लामपुर प्रखंड के बेले पंचायत के पास अवस्थित जैतीपुर बाजार से इस्लामपुर थाना की दूरी 10 कि0मी0 है। वर्तमान में जैतीपुर में ओ0पी0 खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री चन्द्रसेन प्रसाद : महोदय, इस्लामपुर बड़ा प्रखंड है और वहां से वहां की जो दूरी है 10 कि0मी0 है, जो क्षेत्र है- माननीय मंत्री जी भी उस क्षेत्र के बारे में जानते हैं। हम पूछना चाहते हैं कि कैसे जरूरत महसूस नहीं कर रहे हैं, हम पुन: मांग करते हैं कि माननीय मंत्री जी वहां ओ0पी0 खोलवाने का कष्ट करें।

अध्यक्ष : ठीक है।

तारांकित प्रश्न सं0-10(श्रीमती सुनीता सिंह चौहान)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत परसौनी प्रखंड के डुमरा ननौरा पंचायत के गिसरा ग्राम में स्थित कब्रिस्तान वर्ष-2016 में निर्धारित की गयी प्राथमिकता सूची के क्रमांक-264 पर अंकित है । वर्तमान में प्राथमिकता सूची के क्रम-117 तक कार्रवाई हो रही है और अगर माननीय सदस्या कह रही हैं कि संवेदनशील है तो उसको देखवा लेंगे।

तारांकित प्रश्न सं0-11(श्री अशोक कुमार सिंह)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि शेरघाटी अंचल के ग्राम घाघर थाना 437 में कब्रिस्तान है, जिसका हाल सर्वे खतियान के अनुसार खाता-198, खेसरा-1142, एराजी 0.94 डी0, खाता **अनाबाद सर्वसाधारण** खाते की है। उक्त अनाबाद में किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं हुआ है । उक्त कब्रिस्तान की घेराबन्दी नहीं हुई है । उक्त कब्रिस्तान घेराबन्दी हेतु शेरघाटी प्रखंड में निर्मित प्राथमिकता सूची के क्रम-26 पर अंकित है । 2016-17 में क्रमश: 7 में स्थित कब्रिस्तान का चयन कर क्रियान्वयन किया जा रहा है। डोभी अंचल के अन्तर्गत अखमा में कब्रिस्तान अवस्थित है । खेसरा-732, रकबा-1. 05 एकड़, मौजा अछमा, थाना सं0-815 के हाल सर्वे खतियान में अनाबाद शब्द साधारण के खाता सं0-127 में किस्म जमीन कब्रिस्तान करके इन्द्राज है। कब्रिस्तान की भूमि का अतिक्रमण नहीं है । उक्त कब्रिस्तान घेराबन्दी हेतु प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं है । कब्रिस्तान की घेराबन्दी प्राथमिकता के आधार पर की जाती है।

तारांकित प्रश्न सं0-12(श्री रमेश सिंह कुशवाहा)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि सीवान जिलान्तर्गत मैरवा प्रखंड में हमलौली नामक कोई स्थान नहीं है। जीरादेई प्रखंड अन्तर्गत बढ़ैया गांव स्थित कब्रिस्तान निर्धारित प्राथमिकता सूची के क्रम-8 पर दर्ज है। इस वित्तीय वर्ष के लिए निर्मित कब्रिस्तानों की प्राथमिकता सूची में से अब तक किसी भी कब्रिस्तान की घेराबन्दी नहीं हुई है। क्रम आने पर बढ़ैया ग्राम स्थित कब्रिस्तान की घेराबन्दी करायी जायेगी । कब्रिस्तान की घेराबन्दी के लिए जिला पदाधिकारी और उसके सेंसेटिवनेस के आधार पर होती ही है।

श्री रमेश सिंह कुशवाहा : गांव है इमलौली, कबीरपुर पंचायत का इमलौली गांव है। मैरवा प्रखंड के कबीरपुर पंचायत में इमलौली गांव है।

अध्यक्ष : इमलौली ?

श्री रमेश सिंह कुशवाहा: जी ।

अध्यक्ष : ठीक है, इसको देखवा लीजिएगा हमलौली लिखा गया है, लेकिन वे कह रहे हैं कि इमलौली है। लिखकर दे दीजिएगा माननीय सदस्य।

श्री रमेश सिंह कुशवाहा : ठीक है।

तारांकित प्रश्न सं0-13(श्री अरूण कुमार सिन्हा)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि पटना के कंकड़बाग के डिफेंस कॉलोनी में टी0ओ0पी0 हाउसिंग बोर्ड के आवास में कार्यरत है । इसके भवन की मरम्मति हेतु बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना को निदेशित किया गया है।

श्री अरूण कुमार सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, कोई समय सीमा और उसकी वैकल्पिक व्यवस्था, जब तक नहीं बनता है तब तक उसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था सरकार करेगी, क्योंकि वह बहुत जरूरी है और बहुत जर्जर स्थिति में है, वह काम लायक बिलकुल नहीं है।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, वह हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में है।

श्री अरूण कुमार सिन्हा : उसकी महोदय............

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : अरूण बाबू, वह सरकारी मकान है और निदेशित किया गया है रिपेयर करने में वक्त थोड़े लगेगा, जल्दी ही कर दिया जायेगा।

श्री अरूण कुमार सिन्हा : इसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था है क्या, सरकार सोच रही है ?

तारांकित प्रश्न सं0-14(श्री महेश्वर प्रसाद यादव)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत गायघाट थाना प्रखंड परिसर में तथा बेनीबाग ओ0पी0 किराये के मकान में संचालित है। गायघाट थाना भवन निर्माण हेतु 1 एकड़ भूमि उपलब्ध है । थाना भवन निर्माण हेतु बिहार पुलिस भवन

निर्माण निगम को निदेश दिया गया है। बेनीबाग ओ0पी0 हेतु भूमि चयनित है । चयनित भूमि के दाखिल खारिज की कार्रवाई की जा रही है । दाखिल खारिज होने के पश्चात् भवन निर्माण की कार्रवाई की जायेगी । जल्दी कलक्टर को निदेशित किया गया है कि दाखिल खारिज की कार्रवाई करके जल्दी रिपोर्ट भेजे।

श्री महेश्वर प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, कितने दिनों के अंदर कार्रवाई करना चाहते हैं ?

अध्यक्ष : वह तो दाखिल खारिज करने का..........

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : जल्द से जल्द डायरेक्शन दिया गया है।

टर्न-6/अशोक/28.11.2016

तारांकित प्रश्न संख्या-15 (श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह :खंड-1 अस्वीकारात्मक है । भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत निर्वाची पदाधिकारी के हस्तपुस्तिका के अध्याय-XVII में नामांकन शुल्क के वापसी के संबंध में निम्नलिखित निर्देश दिये गये हैं :-

अभ्यर्थी जिसे चुनाव में कुल वैध मतों का 1/6 मत से अधिक मत प्राप्त हुआ हो उसे ही नामांकन शुल्क वापस किया जाना है किन्तु इसके लिए अभ्यर्थी या उसके प्रतिनिधि को विहित प्रारूप में निर्वाची पदाधिकारी के चुनाव परिणाम की घोषणा के 180 दिनों के अन्दर नामांकन शुल्क वापसी का आवेदन दाखिल करना आवश्यक है ।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद ने सूचित किया है कि निर्वाची पदाधिकारी 221-नवीनगर विधान सभा ने प्रतिवेदित किया है कि वर्ष 1995, वर्ष 2005 एवं 2010 के 221-नवीनगर विधान सभा चुनाव से संबंधित नामांकन शुल्क वापसी हेतु कोई आवेदन लंबित नहीं है । वर्ष 2015 के 221-नवीनगर विधान सभा चुनाव में तय सीमान्तर्गत श्री गोपाल नारायण सिंह (प्रत्याशी भाजपा) द्वारा कुल वैध मतों का 1/6 मत प्राप्त करने एवं श्रीमती सोनाली प्रिया(निर्दलीय प्रत्याशी) द्वारा अभ्यर्थिता वापस लेने के कारण उनको नामांकन शुल्क की राशि वापसी की गयी है । विदित है कि वर्ष 2004 में विधान सभा चुनाव नहीं हुआ है ।

खंड-2 : अस्वीकारात्मक है । वर्ष, 1996 के लोक सभा निर्वाचन लड़ने वाले किसी भी प्रत्याशी का आवेदन पत्र तय अवधि में विहति प्रपत्र में प्रतिभूति राशि की वापसी हेतु कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है । इसलिए नियमानुसार प्रत्याशियों के नामांकन की राशि लौटाने का मामला लम्बित नहीं है ।

खंड-3 : नामांकन शुल्क वापसी के लिए सशर्त वापसी की प्रक्रिया है जिसका उल्लेख कंडिका 1 में किया गया है । निर्वाची पदाधिकारी की हस्तपुस्तिका का अध्याय- XVII कंडिका-17.3.1 कृपया दृष्टव्य ।

खंड-4: अस्वीकारात्मक है । भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में नियमानुसार नामांकन शुल्क वापसी की कार्रवाई की जाती है । इस प्रकार वर्त्तमान में नामांकन शुल्क वापसी का कोई मामला लंबित नहीं है ।

तारांकित प्रश्न संख्या-16 (श्री कुमार सर्वजीत)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : खंड-1 : उत्तर स्वीकारात्मक है ।

खंड-2: फतेहपुर थाना में एक टीम एस.टी.एफ. उपलब्ध है, जिसे गुरपा इलाके की सुरक्षा व्यवस्था हेतु प्रयोग किया जाता है ।

खंड-3 : वर्त्तमान में गुरपा में पुलिस पिकेट खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्री कुमार सर्वजीत : अध्यक्ष महोदय, एक तो झारखंड वहीं से स्टार्ट होता है और वहां पर भी शराब का बड़े पैमाने पर कालाबाजारी हो रहा है । दूसरा है कि वह एक बड़ा पर्यटक स्थल है, एक दिन में कम से कम तीन से चार हजार विदेशी पर्यटक वहां पर जाते हैं और लगातार उस सड़क में लैंड माईन्स लगाकर भी विस्फोट हो रहा है । अभी-अभी दो महीना पहले लैंड माईन्स लगाकर विस्फोट हुआ जब हमलोग एक घंटा पहले वहां से क्रास किये थे । वहां से 20 किलो मीटर पर थाना है । उस इलाके में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मिशन है, उस पर इससे समस्या उत्पन्न हो गई है, कोई देखने वाला नहीं है, इसलिए हम आग्रह करते हैं कि हमारी सरकार और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छाशक्ति है उसको कृपया न मरने दिया जाय, वहां उसकी व्यवस्था की जाय, यही मेरा आग्रह होगा ।

अध्यक्ष : ठीक है । तारांकित प्रश्न संख्या-17 ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : एक टीम एस.टी.एफ. का वहां अवस्थित है जो अपेक्षित कार्रवाई करने के लिए काफी सक्षम है । फिर भी माननीय सदस्य ने जो इंगित किया है, उस सुझाव पर कार्रवाई, देखेंगे कि क्या किया जा सकता है ।

तारांकित प्रश्न संख्या-17 (श्री विनोद कुमार सिंह)

अध्यक्ष : उन्होंने माननीय सदस्य श्री कृष्ण कुमार ऋषिदेव जी को प्राधिकृत किया है । प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग । जवाब प्रभारी मंत्री, गृह देंगे, ठीक है ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव: खंड-1 : आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

कुछ जिलों में यात्रा भत्ता की निकासी लम्बित है ।

खंड-2: अस्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि प्रतिनियुक्त अंगरक्षकों को बिहार यात्रा भत्ता नियमावली के तहत यात्रा भत्ता हेतु समर्पित यात्रा भत्ता विपत्र के आधार पर यात्रा भता की निकासी संबंधित जिला से नियमानुसार की जाती है, परन्तु यात्रा भत्ता के स्थान पर विराम भत्ता का दावा करते हुये समर्पित यात्रा भत्ता विपत्र नियमावली के अनुरूप नहीं होने के फलस्वरूप देय नहीं है ।

उक्त संबंध में पुलिस मुख्यालय द्वारा सभी जिला पुलिस अधीक्षक को निदेशित भी किया गया है कि संबद्ध अंगरक्षकों को उनके अंगरक्षक के पदस्थापन स्थल पर ठहराव के कारण विराम भत्ता देय नहीं हेगा ।

खंड-3 : उपर्युक्त खण्ड दो के अनुसार ।

श्री कृष्ण कुमार ऋषिदेव : अध्यक्ष महोदय, कुछ जिलों में दिया जा रहा है ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : नहीं । नियम नहीं है ठहरने का, कोई नियम ही नहीं है । निदेशित किया गया तो दिया गया होगा कहीं ।

श्री कृष्ण कुमार ऋषिदेव : पूरे बिहार में एक होना चाहिए न !

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : एक ही नियम है भाई, एक ही नियम है ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या: 18 (श्री विनोद प्रसाद यादव)</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ।

श्री अब्दुल गफूर, मंत्री : महोदय, राज्य सरकार द्वारा अल्प संख्यक कल्याण विभाग के माध्यम से प्रत्येक जिला मुख्यालय में अल्प संख्यक छात्रावास का निर्माण कराया जाता है । गया जिला मुख्यालय में भी अल्पसंख्यक बालक एवं बालिका छात्रावास संचालित है । वर्त्तमान नीति के अनुसार अनुमण्डल स्तर पर छात्रावास निर्माण की योजना का प्रावधान नहीं हैं ।

श्री विनोद प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, गया जिला बहुत बड़ा जिला है और शेरघाटी अनुमण्डल दक्षिणी छोर पर पड़ता है और वहां 9-9 बड़े प्रखण्ड हैं, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूॅ कि जो बड़े जिले हैं, उन जिलों में अनुमण्डल स्तर पर छात्रावास का निर्माण करने का सरकार विचार रखती है ?

श्री अब्दुल गफूर, मंत्री : चूंकि अध्यक्ष महोदय अभी जिला मुख्यालय में ही बनाने का प्रावधान है और उसके बाद जब अनुमंडल स्तर पर निर्णय होगा तो शेरघाटी को प्राथमिकता के आधार पर उस पर विचार किया जायेगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या-19 (श्री अचमित ऋषिदेव)

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, गृह विभाग ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : प्रश्नगत कब्रिस्तान घेराबंदी हेतु निर्धारित प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं है ।

श्री अचमित ऋषिदेव : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि ग्राम्य रेवड़ा मोहनी, वार्ड नं0-9 में 2 एकड़ 8 डिसमल कब्रिस्तान को स्थानीय लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है, जिससे भूखण्ड का क्षेत्रफल घटता जा रहा है । अत: उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी प्राथमिकता के आधार पर कराया जाय ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, यह एक अवधारणा कि हर कब्रिस्तान की घेराबंदी एक ही बार हो, सम्भव नहीं है । सरकार की नीति है कि जहां कोई विवाद की गुंजाईश होती है, क्लेश नहीं हो, इसलिए प्राथमिकता सूची जिला स्तर पर कलक्टर की अध्यक्षता में, एस.पी. होते हैं और पूरी रिपोर्ट के बाद कि कोई क्लैश नहीं हेा, झंझट नहीं हो, प्राथमिकता सूची उसी के पारामीटर पर निर्धारित किया जाता है, मैंने कहा कि उस सूची में नहीं लेकिन बारी बारी से आगे आने वाले वक्तों में सारे कब्रिस्तान किये जायेंगे, यह सही बात हैं ।

श्री अचमित ऋषिदेव : माननीय अध्यक्ष महोदय,

अध्यक्ष : माननीय सदस्य अचमित जी, जो बात अभी पूरक में पूछ रहे हैं उसको तो आपने मूल प्रश्न में डाला ही नहीं । ये अतिरिक्त सूचना दे रहे हैं, जिसकी जमीन अतिक्रमित हो रही है उसको दिखवा लीजिए ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : ठीक ।

तारांकित प्रश्न संख्या-20 (श्री विनोद प्रसाद यादव)

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, गृह विभाग ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि गया जिला अन्तर्गत शेरघाटी प्रखण्ड के ग्राम-चॉपी, थाना सं0-432 में कब्रिस्तान है, जिसका खाता सं0-244, खेसरा सं0-923, एराजी 0.12 डी0 किस्म पुरानी परती खाता बनाम **अनाबाद सर्व साधारण** हाल सर्वे खतियान में दर्ज हैं । उक्त भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है ।

आमस प्रखण्ड के ग्राम- श्यामनगर नीमा में स्थित कब्रिस्तान चक खाता-182, चक प्लॉट-262/149, रकवा-0.68 डी0, किस्म जमीन कब्रिस्तान का आधे भाग की घेराबंदी पूर्व में श्री शकील अहमद खां, तत्कालीन माननीय विधायक के विधायक मद से अनुशंसित राशि के अनुरूप

किया गया था। आधे कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हुई है । उक्त कब्रिस्तान का अतिक्रमण नहीं हुआ है ।

प्रश्नगत दोनों कब्रिस्तान घेराबंदी हेतु प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं है ।

कब्रिस्तानों की घेराबंदी के लिए जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है और उसी क्रमबद्ध ढंग से घेराबंदी कराये जाने की नीति है ।

श्री विनोद प्रसाद यादव : माननीय मंत्री जी का जो उत्तर है उसमें मैं जानना चाहता हूँ कि जो शेरघाटी प्रखण्ड के नीमा के चॉपी और आमस के श्यामनगर नीमा दोनों जगह पर अल्पसंख्यकों की आबादी कम है और उन लोगों के वहां पर जहां पर आबादी कम रहती हैं तो बहुसंख्यक आबादी के जो लोग होते हैं तो उसका अतिक्रमण और खुला रहने के कारण जानवरों और पशुओं को आने जाने पर विवाद होता है, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या इन दोनों कब्रिस्तानों को प्राथमिकता सूची में दर्ज कराते हुये और जो पूर्व के कब्रिस्तान की जो आधी घेराबंदी हुई है, वह भी ध्वस्त हो चुका है, तो उसको पूर्ण कराने का विचार रखते हैं ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य ने जिन तथ्यों की ओर इशारा किया है, उसको दिखवा लेंगे और जिला पदाधिकारी को कहा जायेगा कि अगर माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं वह तथ्यात्मक है तो निश्चित रूप से कार्रवाई करने का निदेश देंगे ।

टर्न-07/ज्योति 28-11-2016

तारांकित प्रश्न सख्या 21 (श्री चन्द्रसेन प्रसाद)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि नालन्दा जिलान्तर्गत एकंगरसराय प्रखंड में एकंगरसराय चौराहे पर जाम की समस्या होने पर चौराहे पर यातायात के सुचारु संचालन हेतु थाना स्तर के प्रति दिन पुलिस पदाधिकारी पुलिस कर्मी चौकीदार की डियूटी लगायी जाती है । थाना स्तर से दिवा-गश्ती द्वारा भी यातायात पर पैनी नजर रखी जाती है एकंगरसराय में ट्रैफिक पुलिस बल अलग से कार्यरत नहीं है ।

तारांकित प्रश्न संख्या -22 (श्री रामदेव राय)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, 1- वस्तुस्थिति यह है कि बेगुसराय जिला के भगवानपुर प्रखंड में 15 अगस्त 2016 स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर निर्धारित समय 9 बजकर 15 मिनट में प्रखण्ड प्रमुख श्री लाल बाबू पासवान के उपस्थित नहीं होने के कारण उप

प्रमुख श्री अजय कुमार के द्वारा झण्डोत्तोलन किया गया, तदोपरान्त राष्ट्र गान समाप्ति पर प्रखण्ड प्रमुख दर्शक दीर्घा पहुंचे । भगवानपुर थाना काण्ड संख्या 122/15 के वारन्टी लाल बाबू पासवान को 15 अगस्त 2016 स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय झण्डोत्तोलन एवं राष्ट्र गान की समाप्ति के उपरान्त प्रखण्ड परिसर स्थित सड़क दर्शक दीर्घा में 9 बजकर 20 मिनट पर गिरफ्तार कर गिरफ्तारी स्थल से न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया ।

2-उपर्युक्त खण्ड 1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

श्री रामदेव राय : हुजूर, एकदम शतप्रतिशत गलत जवाब है इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि वरीय पदाधिकारी से प्रश्नकर्त्ता के समक्ष जॉच करा दें । हुजूर, उस समय गिरफ्तारी की गयी जब पासवान झण्डोत्तोलन कर रहा था और वह सूचना देकर पुलिस को गया था, कहा कि मैं सुशासन के आदेश को पालन करने के लिए और झण्डोत्तोलन के बाद गिरफ्तार होना चाहता हूँ और तब वह थाना परिसर में गया था इसलिए हन्ड्रेड परसेंट गलत जवाब है । माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि आप सुशासन की रक्षा करने के लिए इसकी वरीय पदाधिकारी से जॉच करवा दें और जॉच के समय मुझे भी उपस्थित रहने का आदेश दें ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, एस0पी0 से इसकी विस्तृत जॉच कराके प्रतिवेदन मांग कर अपेक्षित कार्रवाई की जायेगी जो सच्चाई है ।

श्री रामदेव राय : प्रश्नकर्त्ता की उपस्थिति में ...

अध्यक्ष : आरक्षी अधीक्षक से स्वयं जॉच करने को कहा है ।

श्री रामदेव राय : प्रश्नकर्त्ता को भी रखा जाय जॉच में ।

अध्यक्ष : आवश्यकता पड़ने पर प्रश्नकर्त्ता से भी सहयोग लिया जायेगा ।

प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ, जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों उन्हें सदन पटल पर रख दिया जाय ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनाँक 28 नवम्बर, 2016 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जो निम्न प्रकार हैं :-

1) श्री मिथलेश तिवारी, स0वि0स0 ।

2) श्री संजय सरावगी, स0वि0स0 ।

3) श्री जिवेश कुमार, स0वि0स0 ।

4) श्री विजय कुमार खेमका, स0वि0स0 ।

5) श्री विद्या सागर केशरी, स0वि0स0 ।

6) श्री विजय कुमार सिन्हा, स0वि0स0 ।

7) श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह, स0वि0स0 ।

आज सदन में वित्तीय वर्ष 2016-17 के द्वितीय अनुपूरक व्यय-विवरणी का उपस्थापन है ।

अतएव बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-47 (2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण उपर्युक्त सभी कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना को अमान्य किया जाता है ।

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी के नोट बन्दी के फैसले का पूरे बिहार में स्वागत हुआ है । माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी स्वागत किया है, उनको बधाई देते हैं लेकिन महागठबंधन के राजद और कांग्रेस के लोग जो कालाधन का संरक्षण कर रहे हैं, उन घोटालेबाजों के खिलाफ कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी गयी है । राजद के लोग जिनका इतिहास घोटाले का रहा है ।

(व्यवधान)

शून्य काल

श्री अमित कुमार : अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला के बैरगनियाँ जमुआ अन्तर्गत 29-10-2012 को रौशन खातून, गुलशन खातून, नाजमी खातून एवं रुमाना खातून की लालबकैया नदी में डूबकर मृत्यु हो गयी । पीड़ित परिवार को सरकारी सहायता एवं मुआवजा राशि नहीं मिली है । शीघ्र ही सरकारी सहायता एवं मुआवजा राशि का भुगतान कराया जाय ।

श्री विजय कुमार खेमका : महोदय, पूर्णियाँ जिला में धान क्रय केन्द्र नहीं खुलने से किसान अपनी उपज औने-पौने दर पर बेचने को मजबूर है । घन की कटाई 60 प्रतिशत से ज्यादा हो चुकी है । बुआई एवं शादी के समय सरकारी खरीद नहीं होने से किसानों में त्राहिमाम की स्थिति है ।

अत: सरकार किसानों का धान शीध्र क्रय करे ।

श्री मो0 नेमातुल्लाह : महोदय, गोपालगंज जिलान्तर्गत बरौली वाली लिंक रोड तथा पण्डौली पीच रोड से पूर्वी गिट्‌टी टोला होते हुए जमालपुर जाने वाली सड़क एवं जमालपुर पीच रोड से जोकहां कर्ण टोला होते हुए रुपन छाप पैक्स मैदान पीच रोड तक सड़क के निर्माण की मांग सरकार से करता हूँ ।

श्री मिथिलेश तिवारी : अध्यक्ष महोदय, गोपालगंज जिले में अवस्थित भारत सूगर मिल सिधवलिया के द्वारा गोपालगंज, शिवहर, सीतामढ़ी, चम्पारण एवं मुजफ्फरपुर के गन्ना किसानों के गन्ना की पेराई 25 नवम्बर से करने की तैयारी थी । प्रदूषण विभाग द्वारा मिल परिचालन पर रोक लगाने से गन्ना किसान आन्दोलित हैं । अतिशीघ्र मिल का परिचालन प्रारंभ किया जाय ।

श्री मो0 नवाज आलम : महोदय, भोजपुर जिलान्तर्गत आरा के जिला परिवहन कार्यालय (डी0टी0ओ0) औफिस में ड्राईविंग लाईसेंस के लिए एस0के0एम0एस0 कार्ड 8000 की आवश्यकता है लेकिन औफिस में कार्ड की कमी है । कर्मचारियों द्वारा लोगों को परेशान किया जा रहा है । इसकी जॉच हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ ।

श्री जिवेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिलान्तर्गत सिंहवाड़ा प्रखण्ड के भड़वारा में भू-माफियाओं द्वारा जिला प्रशासन की मदद से जबरन सहनी समाज के कुलगुरु गरभू दयाल सिंह जी की लगभग 500 वर्ष पुरानी समाधि-स्थल सह गहवर भूमि पर कब्जा का प्रयास एवं मारपीट किया गया । इस पूरी घटना की न्यायिक जॉच कराई जाय ।

(इस अवसर पर मा0 सदस्य श्री जिवेश कुमार सदन के वेल में आकर बोलने लगे)

(व्यवधान)

श्री महबूब आलम : महोदय, कटिहार जिलान्तर्गत बारसोई अनुमण्डल के जितवारपुर गांव से बारसोई अनुमण्डल के मुख्य बाजार, रामचौक, महेन्द्र चौक, नीमतलाल बाजार, ब्लॉक चौक होता हुआ पश्चिमी रेलवे गुमटी से आगे इमादपुर मोड़ तक की एस0एच0-98 का चौड़ीकरण के साथ सुरक्षा गार्ड लगाया जाय ।

श्री संजय सरावगी : महोदय, डी0एम0सी0एच0, दरभंगा के रेडियोलॉजी विभाग में डिजीटल एक्स-रे एवं कलर डॉप्लर मशीन खराब है एवं हाल ही में खरीदी गयी चार अल्ट्रासाउन्ड मशीन भी बन्द पड़ी हुई है । अविलम्ब सभी उपकरणों को चालू कर मरीजों को लाभ दिलाने एवं बन्द के लिए दोषियों को चिन्हित कर सरकार कार्रवाई करे ।

श्री ललन पासवान : अध्यक्ष महोदय, रोहतास जिलान्तर्गत सासाराम मुख्यालय स्थित दैनिक भास्कर के पत्रकार धर्मेन्द्र कुमार सिंह को दिनॉक 12-11-2016 को अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गयी ।

सरकार से मांग करते हैं कि मृतक के परिजन को सरकार 25 लाख रुपया मुहैय्या करावे ।

डा0 विनोद प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, गया जिलान्तर्गत शेरघाटी के सगाही के निकट मोजमा के पास, डोभी प्रखण्ड में पट्टी पंचायत के भेलवा एवं आमस प्रखण्ड के सिहुली में विद्युत सब स्टेशन नहीं रहने से ग्रामीणों को बिजली आपूर्त्ति में काफी कठिनाई होती है।

जनहित में उक्त स्थानों पर विद्युत सब स्टेशन बनवाने की मांग करता हूँ ।

श्री निरंजन कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, मधेपुरा जिला के बिहारीगंज प्रखंड के बभनगामा गांव में दिनॉक 06-11-16 को आग लगने से दर्जनों घर जलकर राख हो गए ।

सरकार पीड़ित परिवारों को पुनर्वासित करे ।

टर्न-8/विजय/28.11.16

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, श्री प्रमोद कुमार ।

श्री प्रमोद कुमार: अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिला के तुरकौलिया बाजार, बोरिंग चौक, चौक बाजार कवलपुरा चौक स्थित माँ दुर्गा प्रतिमा के समक्ष प्रशासन के नेतृत्व में मुहर्रम जुलुस के द्वारा बहुसंख्यकों के भावनाओं पर ठेस पहुंचाया गया एवं झूठा मुकदमा कर तंग तबाह करने की न्यायायिक जांच कराने की मांग सरकार से करता हूं ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, श्री रामचन्द्र सहनी ।

श्री रामचन्द्र सहनी: अध्यक्ष महोदय, जिला पूर्वी चम्पारण के सुगौली में 14 अक्तूबर, 2016 को दुर्गा मूर्त्ति विर्सजन के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा किये गये हमला के संदर्भ में प्रशासन द्वारा दर्ज मुकदमों 217/16 एवं 210/16 में निर्दोष बहुसंख्यकों को जेल भेज दिया गया है। अत: निर्दोषों का मुकदमों से नाम हटाने और जेल से छुड़ाने का सरकार से मांग करता हूं।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, श्रीमती बेबी कुमारी ।

श्रीमती बेबी कुमारी: अध्यक्ष महोदय, एस.के.एम.सी.एच. मुजफ्फरपुर में लावारिस लाशें अंत्येष्टि के नाम पर गायब कर लाशों से मांस नोचकर फेंकने के बाद हड्डी को बॉयल कर कंकालों को मेडिकल छात्रों को बेचा जा रहा है । स्थिति ह्रदय विदारक है । अत: अविलंब कार्रवाई की मांग करती हूं ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, डॉ0 राजेश कुमार ।

डॉ0 राजेश कुमार: अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के संग्रामपुर, केशरिया प्रखंड में वृद्धा पेंशन कई महीनों से नहीं मिलने पर लोगों में आक्रोश है । हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्द ही वृद्धा पेंशन बंटवाया जाय ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, श्री विजय कुमार सिन्हा ।

श्री विजय कुमार सिन्हा: अध्यक्ष महोदय, लखीसराय जिला के बड़हिया नगर पंचायत सहित प्रखंड के टाल दियारा सहित कई गांव में बाढ़ पीड़ितों को बाढ़ राहत सहित किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्त्ति नहीं मिली है । अत: सरकार अविलम्ब लखीसराय जिला के बाढ़ पीड़ितों को राहत राशि का भुगतान करावे ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, श्री विद्या सागर केशरी ।

श्री विद्या सागर केशरी: अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज प्रखंड के खवासपुर पंचायत के खवासपुर बाजार तक एवं अम्हारा पंचायत के बलियाडीह गांव जाने वाली पक्की सड़क के किनारे तक परमान नदी कटाव कर चुकी है । खवासपुर बाजार के पन्द्रह परिवार अपने घर नदी में गंवा चुके हैं । नदी कटाव से बचाव की मांग सदन से करता हूं।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, श्री केदार प्रसाद गुप्ता ।

श्री केदार प्रसाद गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, मुजफ्फरपुर के कुढ़नी प्रखंड में अंचलाधिकारी के मेल से नूननदी पोखरी का अवैध खनन हुआ है । छठ के दिन छितरौली ग्राम में अवैध खनन वाली नूननदी में दो बच्चा अंजली, कृष्ण डुबकर मर गया । दोषी अंचलाधिकारी पर कार्रवाई की मांग करता हूं ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, श्री बशिष्ठ सिंह ।

श्री बशिष्ठ सिंह: अध्यक्ष महोदय, रोहतास जिला के इंजनियरिंग कॉलेज खोलने का प्रस्ताव है । ग्राम भिवन प्रखंड करगहर में 23.94 एकड़ सरकारी भूमि है । यहां इंजनियरिंग कॉलेज खोलने से रोहतास, कैमूर एवं बक्सर जिला के छात्रों को तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा होगी । सरकार से मांग करता हूं कि उक्त स्थल पर इंजनियरिंग कॉलेज खोला जाय ।

अध्यक्ष: घ्यानाकर्षण सूचना ।

श्री नंद किशोर यादव: महोदय, मैं सूचना पर हूं ।

अध्यक्ष: बोलिये ।

श्री नंद किशोर यादव: महोदय, आज सदन के अंदर एक विशेष बात देखने को मिली जिसके तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं । महोदय, सदन लोकतंत्र की रक्षा के लिए है और इस सदन के अंदर अगर विपक्ष के आवाज को दबाने की कोशिश की जायगी या विपक्ष को अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया जाएगा तो लोकतंत्र सुरक्षित नहीं होगा

महोदय। आपने कई बार देखा होगा जब नेता, विपक्ष बोलने के लिए खड़े हुए, उनका माइक बंद था महोदय । तो अखिर नेता विपक्ष कब बोलेंगे और नेता, विपक्ष को बोलने का मौका कौन देगा ? महोदय, मैं इस बात को आपसे इसलिए कह रहा हूं कि आप विद्वान अध्यक्ष हैं, आप कानून के जानकार हैं, आपने पूरे नियमावली को ठीक से अध्ययन किया है । और महोदय आपसे इस सदन को अपेक्षा है और खासकर के विपक्ष के विधायकों को अपेक्षा है कि आप उसको संरक्षण देंगे । और महोदय नेता, विपक्ष को बोलने का अवसर न दिया जाय बार बार यह कहीं से उचित नहीं है । मुझे उम्मीद है कि आप जरूर इस बात का घ्यान रखेंगे और नेता, विपक्ष के माइक को बंद न किया जाय, उनको पूरा बोलने का अवसर दिया जाय ताकि जनहित के सवाल पर विपक्ष सदन के अंदर उठा सके।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, श्री नंद किशोर बाबू आसन, नेता, प्रतिपक्ष के पद की मर्यादा और महत्व को भंलीभांति समझता है । आसन की तरफ से कभी ऐसी कोई कोशिश नहीं की जाती है । माननीय नेता, प्रतिपक्ष तो इस सदन के अमूल्य सदस्य हैं । बाकी किसी सदस्य की भी आवाज दबा दी जाय ऐसी कोशिश कभी नहीं होती है । कभी कभी होता है कि किनको बोलना है, नहीं बोलना है उसमें कभी माईक नहीं आता होगा । अभी जो घंटे भर का यह सदन चला है उसमें भी नेता, प्रतिपक्ष को कम से कम आसन की तरफ से 4-5 बार बोलने के लिए आग्रह किया गया है और वो बोले हैं । इसलिए ऐसी भावना कभी न रखी जाय। नेता, प्रतिपक्ष या नेता सदन, सरकार या कोई सदस्य, हर सदस्य इस सदन के बहुत ही बहुमूल्य अंग हैं । कभी किसी की आवाज नहीं दबाई गयी है । आसन की तरफ से तो हमेशा माननीय नेता, प्रतिपक्ष का आदर होता है, सम्मान होता है और वह जारी रहेगा ।

<u>घ्यानाकर्षण सूचनाएं एवं उसपर सरकारी वक्तव्य</u>

सर्वश्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह, प्रमोद कुमार एवं अन्य पांच सभासदों से प्राप्त

<u>घ्यानाकर्षण सूचना तथा उस पर सरकार (पथ निर्माण विभाग) की ओर से वक्तव्य।</u>

अध्यक्ष: श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, “ गाँधी सेतु, उत्तर बिहार के लिए लाईफ-लाइन का काम करती है । इस पुल के क्षतिग्रस्त होने से लाखों लोगों को प्रतिदिन भयंकर जाम का सामना करना पड़ता है जिससे समय की बर्बादी होती है तथा कई आवश्यक काम छूट जाते हैं । पुल में पटना से निकलने के तरफ का बांया लेन लगभग 15 सौ फीट में टूट गया है जिसका निर्माण कार्य बंद है । सिर्फ एक लेन चालू रहने से भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है । पुल का शीघ्र निर्माण अत्यावश्यक है ।

अतः पुल के क्षतिग्रस्त हिस्सा का शीघ्र निर्माण कराकर जनता की कठिनाई को दूर करने के लिए हम सदन के माघ्यम से सरकार का घ्यानाकृष्ट करते हैं ।"

अध्यक्ष: माननीय मंत्री, प्रभारी ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: माननीय सदस्यों का इरादा क्या है ? सचीन्द्र जी ने जो ध्यानाकर्षण पूछा है आप उसका उत्तर देना चाहते हैं क्या ?

श्री प्रमोद कुमार: हुजूर, विभाग के न मंत्री बतायेंगे ?

अध्यक्ष: विभागीय मंत्री का आज दूसरे सदन में प्रश्न काल है । वे आसन की अनुमति लेकर गए हैं और उन्होंने मंत्री, सहकारिता को प्राधिकृत किया है जवाब पढ़ने के लिए ।

श्री आलोक कुमार मेहता,मंत्री: अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि महात्मा गांधी सेतु उत्तर बिहार के लिए लाइफ लाइन का काम करती है । इस पुल के क्षतिग्रस्त होने के कारण लाखों लोगों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है । परंतु अब इस पुल के वर्तमान सुपर स्ट्रक्चर को हटाकर विदरिंग स्टील का उपयोग करते हुए रिडेकिंग का कार्य केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राज मार्ग मंत्रालय द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है। इस कार्य को कराने हेतु संवेदक का चयन कर लिया गया है तथा दिनांक 19.11.2016 को एकरारनामा करते हुए कार्यादेश निर्गत कर दिया गया है । एकरारनामे के अनुसाल कुल 42 माह के इस कार्य को 42 माह में इस कार्य को कराने का लक्ष्य है । साथ ही आम जनता की कठिनाई के मद्देनजर राज्य सरकार ने अपने संसाधन से वर्तमान पुल के समानान्तर दो पीपा पुल निर्माण कराने का निर्णय लिया है ।

क्रमशः

टर्न-9/28.11.2016/बिपिन

श्री आलोक कुमार मेहता,मंत्री: क्रमशः एक पीपा पुल जनवरी, 2017 तक तैयार हो जाएगा और दूसरा भी मई, 2017 तक पूरा कर लिया जाएगा और उसे चालू कर दिया जाएगा । एक पीपा पुल पर ...(व्यवधान)

श्री नन्द किशोर यादव: महोदय, क्या बोल रहे हैं मंत्री महोदय ? मंत्री महोदय कह रहे हैं कि मई, 2017 में पीपा पुल चालु कर देंगे । ऐसा नहीं होता है भाई । मई-जून में कौन पीपा पुल चालू होता है बिहार में ? ऐसा नहीं जवाब दीजिए भाई । कौन विभाग का जवाब लिख कर दे दिया है ?

श्री आलोक कुमार मेहता,मंत्री: महोदय, पीपा पुल से मतलब है कि जो वैकल्पिक व्यवस्था है...

अध्यक्ष : पीपा पुल से मतलब है आवागमन ।

श्री आलोक कुमार मेहता,मंत्री: जी । कार्य जब शुरू होगा तब गंगा पुल पर आवागमन बंद हो जाएगा। माननीय सदस्य नन्द किशोर बाबू, जब सुपर स्ट्रक्चर...

अध्यक्ष : आलोक जी, वह इसलिए पूछ रहे हैं कि इस विभाग के मंत्री भी रहे हैं ।

श्री आलोक कुमार मेहता,मंत्री: जी । तो जितने जगह पर पानी होगा, महोदय, सुपर स्ट्रक्चर रिप्लेसमेंट के कार्य को शुरू करने के साथ ही वहां आवागमन जब बंद होगा तो उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की बात मैं कर रहा हूं ।

अध्यक्ष: ठीक है ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह: महोदय, बहुत गंभीर मामला है । आप भी इस पुल से गुजरते हैं । मुझको यह जानना है कि पुल का जो क्षतिग्रस्त पार्ट है या पुल पर ऐसी बहुत सारी गाड़ियां जो खराब पड़ी हुई हैं, पुल पर लाकर लगा दी जाती है । जो गाड़ियां पुल पर खराब हो जाती हैं बीच में, तत्काल उसे हटाया नहीं जाता है, उससे भी जाम लग जाती है । पुल पर कई बसें हैं जिनका ठहराव होता है, यात्रियों को उसपर चढ़ाया जाता है, उतारा जाता है । उससे भी वहां परेशानी होती है । पुल पर यह व्यवस्था हुई थी पिछली सरकार के द्वारा कि लगातार पुलिस फोर्स रखे जाएंगे और किसी गाड़ी का ठहराव या रूकावट उस पुल पर नहीं होगा । वह भी व्यवस्था आज के दिन में भंग है । तो क्या सरकार, बिहार की सरकार, भारत की सरकार ने, ठीक है, इसको सेम स्ट्रक्चर बनाने के लिए एग्रीमेंट कर दिया है और मुझको लगता है कि यह तीन साल का मामला है लेकिन चार साल, पांच साल से कम में तैयार नहीं होगा । वर्त्तमान में उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्या कर रही है ?

अध्यक्ष : बताया सरकार ने । आपने जो अतिरिक्त सुझाव दिया है, माननीय मंत्री, उसको नोट कर लीजिए । बीच में कहीं कोई गाड़ी खराब हो जाती है तो इम्मेडिएटली उसको ढोकर बाहर कर दें, उसके कारण बाधित नहीं हो ।

श्री यदुवंश कुमार यादव ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह: महोदय, एक मिनट महोदय । महोदय, उस पर पुलिस फोर्स की भी व्यवस्था कर दीजिए ।

अध्यक्ष: ठीक है, पुलिस फोर्स की व्यवस्था करा दीजिए ।

माननीय सदस्य श्री यदुवंश कुमार यादव ।

श्री यदुवंश कुमार यादव, स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (परिवहन विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री यदुवंश कुमार यादव: अध्यक्ष महोदय, ''बिहार राज्य में भारी वाहन चालकों के अनुज्ञप्ति पर रोक लगे रहने के कारण दूसरे राज्यों से अनुज्ञप्ति प्राप्त करने में उन्हें भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है ।

योग्य चालक अनुज्ञप्ति के अभाव में रोजगार पाने से वंचित हैं तथा सरकार को अनुज्ञप्ति शुल्क के रूप में अनुमान्य राजस्व की भी क्षति हो रही है ।

अत: भारी वाहन चालकों के अनुज्ञप्ति पर लगे रोक को शीघ्र हटाने हेतु मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ ।''

श्री चन्द्रिका राय,मंत्री: अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम-9 के उप नियम-3 के अनुसार भारी वाहन चालक अनुज्ञप्ति सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मोटर ड्राईविंग स्कूल के द्वारा निर्गत वाहन चालन प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र के आधार पर व्यवसायिक भारी वाहन चालक अनुज्ञप्ति निर्गत किया जा रहा है । वर्त्तमान में राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य के विभिन्न जिलों में कुल आठ मोटर ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल निजी क्षेत्र में स्थापित है जिनके द्वारा व्यवसायिक वाहन चालन प्रमाण-पत्र निर्गत किया जा रहा है । विगत् तीन वर्षों में विभिन्न जिला परिवहन कार्यालयों द्वारा कुल साढ़े नौ हजार व्यवसायिक भारी वाहन चालन अनुज्ञप्ति निर्गत किया गया है । साथ ही, अन्य राज्यों में स्थित व्यवसायिक वाहन प्रशिक्षण स्कूल से प्राप्त प्रमाण-पत्र के आधार पर भी अनुज्ञप्ति निर्गत किया जा रहा है । अत: विहित प्रक्रिया का अनुपालन कर आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में व्यवसायिक भारी चालक अनुज्ञप्ति जिला परिवहन कार्यालय द्वारा निर्गत किया जाता है । राज्य में भारी वाहन चालक का अनुज्ञप्ति निर्गत करने पर कोई रोक नहीं है ।

अध्यक्ष: ठीक है ।

श्री यदुवंश कुमार यादव:अध्यक्ष महोदय, अगल-बगल के राज्यों में ...

अध्यक्ष : आपने तो ध्यानाकर्षण सूचना में कहा है कि रोक है । माननीय मंत्री कह रहे हैं कि नहीं रोक है । उन्होंने आंकड़े भी दिए हैं कि कितने लोगों को दिया गया है अनुज्ञप्ति ।

श्री यदुवंश कुमार यादव: महोदय, एक जानकारी हम चाहते हैं कि अन्य राज्यों में वही भारी वाहन चालक लेकिन यहां नहीं मिल पाता है...

अध्यक्ष ठीक है । वह अपना सुझाव दे दीजिएगा ।

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

अध्यक्ष : माननीय मंत्री कृषि विभाग ।

श्री राम विचार राय,मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं, बिहार कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2015 की धारा-31(3) के अन्तर्गत बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर के वर्ष 2011-12 का महालेखाकार से प्राप्त पृथक अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं उस पर विश्वविद्यालय स्तर से की गई कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन की प्रति सदन पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज सदन के प्रारंभ होने पर प्रश्नकाल के दौरान माननीय नेता, प्रतिपक्ष ने श्री विनय बिहारी माननीय सदस्य को सदन में आने से रोकने के संबंध में मामला उठाया था और आसन से नियमन हुआ था कि इस संबंध में आवश्यक जानकारी लेकर सदन को सूचित किया जाएगा ।

उस संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि माननीय सदस्य श्री विनय बिहारी जी के द्वारा दिनांक 23.11.2016 को अनुरोध किया गया कि दिनांक 25.11.2016 के आरंभ होने वाले शीतकालीन सत्र में उन्हें हाफ पैंट एवं गंजी में ही सदन की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति दी जाए ।

माननीय सदस्यगण, आप अवगत हैं कि बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 29(1) के तहत प्रावधान है कि जब सदन का उपवेशन हो रहा हो, तब सदस्य शिष्टतापूर्वक सदन में प्रवेश करेंगे । हाफ पैंट एवं गंजी पहन कर सदन में आना अशिष्ट आचरण का परिचायक होगा । सदन की मर्यादा अक्षुण्ण रहे, इसी कारण से उपवेशन के क्रम में उनका सदन में प्रवेश वर्जित किया गया है ।

अब सभा की कार्यवाही 2.00बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(अ न्त रा ल)

टर्न : 10/कृष्ण/28.11.2016

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । वित्तीय कार्य लिये जायेंगे । प्रभारी मंत्री,वित्त विभाग ।

वित्तीय कार्य

वित्तीय वर्ष 2016-17 के द्वितीय अनुपूरक व्यय-विवरण का उपस्थापन

श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी,मंत्री : महोदय, भारत का संविधान के अनुच्छेद-205 के अनुसरण में बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2016 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2016 द्वारा स्वीकृत राशि के अलावा वित्तीय वर्ष 2016-17 में जो खर्च होने की संभावना है, उसके संबंध में मैं द्वितीय अनुपूरक व्यय-विवरण उपस्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 28 नवंबर, 2016 के लिये स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 23 (तेईस) है । अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक मंगलवार दिनांक 29 नवंबर, 2016 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिये स्थगित की जाती है ।

....